

[जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय :- न्यू पावर हाउस, जोधपुर-342003]

क.-जोविनिनि/मु.ले.अ.(ब. एवं रा.)/ले.अ.(रा)/प्रे. 1048 दिनांक 30/12/13

: आदेश : 304

राजस्थान राज्य विद्युत विनिमायक आयोग द्वारा वाद संख्या आर.ई.आर.सी-343/12 पर दिनांक 10.07.2013 एवं दिनांक 02.12.2013 को दिये गये निर्णयानुसार तथा निगम द्वारा जारी आदेश संख्या 2992 दिनांक 20.12.2013 (REO-208) की सही अनुपालना हेतु निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-

1. उपभोक्ता द्वारा स्वयं या अन्य निर्धारित प्रक्रियानुसार स्वीकृत भार वृद्धि करवाने एवं तदनुसार बिल जारी होने की अवस्था में उपर्युक्त आदेश लागू नहीं होंगे।
2. निगम द्वारा जारी आदेश दिनांक 28.07.2010 (आर.ई.ओ.-186), आदेश संख्या 1156 दिनांक 16.08.2007 (वाणिज्यिक 407) व आदेश संख्या 1016 दिनांक 15.06.2011 (वाणिज्यिक 546) के अनुरूप बिल जारी कर कृषि उपभोक्ता से अधिक वसूल की गई राशि की गणना संलग्न अनुलग्नक- "अ" के प्रारूप में सम्बन्धित उपभोक्ता हेतु पृथक् से की जायेगी।
3. भविष्य में निगम आदेश दिनांक 28.07.2010 से प्रभावित कृषि उपभोक्ताओं का बिल स्वीकृत भार के अनुसार ही भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. सभी गणना प्रपत्रों को एक अलग पत्रावली में पृष्ठ संख्या डालते हुए अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जायेगा एवं इस पृष्ठ संख्या का CC&AR में भी सन्दर्भ के रूप में आवश्यक रूप से उल्लेख किया जायेगा।
5. उपभोक्ता द्वारा उपर्युक्त अधिक राशि जमा नहीं कराने की अवस्था में डी.पी.एस. की राशि भी मूल राशि के साथ समायोजित की जायेगी।
6. सम्बन्धित कृषि उपभोक्ता को बिल में समायोजित की जाने वाली राशि की सूचना संलग्न अनुलग्नक- ब में पृथक् से दी जायेगी।
7. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा उपर्युक्त आदेशों के सम्बन्ध में उपखण्डों द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रगति का विवरण संलग्न अनुलग्नक- "सी" में प्रत्येक सप्ताह नियमित रूप से इस कार्यालय को प्रदान किया जायेगा।
8. उपर्युक्त प्रकार से लौटायी जाने वाली राशि का समायोजन आगामी विपत्र में आवश्यक रूप से किया जाना सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

उपर्युक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से क्रियाशील होंगे।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार।

OFFICE OF SE (IT-Trg.)
JODHPUR DISCOM
R.R. No. 5987.....Date. 31/12/13.....
XEN, C/T/MIS (Training)
XEN, C/T/Trgng)
Jen, IT)
Cont. Steno
Cont. Gen./Cash

आज्ञा से,

(Handwritten Signature)

(एम.एस.पालावत)

मुख्य लेखाधिकारी (बजट एवं राजस्व)

30/12/2013


Put up on web

XEN

SE 22/6/11

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रस्तुत/प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/ उप मुख्य अभियन्ता (), जो.वि.वि.नि. लिमिटेड, ।
2. मुख्य लेखाधिकारी (), जो.वि.वि.नि.लिमिटेड, जोधपुर/जयपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता (श्री प्रो), जो.वि.वि.नि.लिमिटेड, जोधपुर अपने अधीनस्थ सभी अधिशाषी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता को प्रति भेजकर निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
4. निजी सहायक निदेशक (वित्त/तकनीकी), जो.वि.वि.नि.लिमिटेड, जोधपुर।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (), जो.वि.वि.नि.लिमिटेड,..... ।


3/12/13
लेखाधिकारी (राजस्व)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

अनुलग्नक- "अ"
पृष्ठ संख्या.....

उपभोक्ता का नाम..... खाता संख्या ग्राम.....

जांच प्रतिवेदन संख्या.....दिनांक.....सन्दर्भ.....(पत्रावली एवं पृष्ठ सं.).....

स्वीकृत भार (HP) कुल भार (HP)..... *अधिक भार (HP).....(%वृद्धि).....

(अ) निगम द्वारा जारी आदेश संख्या आर. ई. ओ.-186 दिनांक 28.07.2010 के अनुसार 20% तक बढ़े भार पर भी वास्तविक भार के अनुरूप जारी बिलों के कारण लौटायी जाने वाली राशि की गणना का विवरण :-

उपभोक्ता को जारी बिलों की अवधि (माह/वर्ष ... से माह/वर्ष तक)	कुल माह	* स्वीकृत भार से 20% तक बढ़ा हुआ अधिक भार (HP) *	उपभोक्ता से अधिक वसूल की गई कुल निगम राशि (2 x 3 x 85 या 230 जो भी लागू हो रुपये)	उपभोक्ता से अधिक वसूल किया गया कुल विद्युत शुल्क (2 x 3 x 4.25 रुपये)	लौटायी जाने वाली डीपीएस की राशि	कुल लौटायी जाने वाली राशि
1	2	3	4	5	6	7

(ब) निगम द्वारा जारी आदेश संख्या वाणिज्यिक 407 दिनांक 16.08.2007 एवं वाणिज्यिक 546 दिनांक 15.06.2011 के अनुरूप कृषि उपभोक्ताओं से अधिक वसूल की गई राशि को लौटाने की गणना का विवरण

बढ़े भार पर विगत 12 माह की दुगुनी दर से वसूल की गई निगम राशि		बढ़े हुए भार पर विगत 3 माह की 1.5 गुनी दर से वसूल की जाने वाली निगम राशि	उपभोक्ता को लौटायी जाने वाली राशि	लौटायी जाने वाली डीपीएस की राशि	कुल लौटायी जाने वाली राशि
CC&AR No. & Date	राशि				
1	2	3	4 (2-3)	5	6

Credited vide CC&AR No..... & Date Rs.

ह.खाता लिपिक

ह. स.रा.अधिकारी

ह. सहायक अभियन्ता

कार्यालय सहायक अभियन्ता ()

अनुलग्नक- "ब"

क्र/स.अ./राजस्व/प्रे.

दिनांक

श्री/श्रीमती

.....

.....

विषय : बिल द्वारा वसूल की गई अधिक राशि लौटाने बाबत।

महोदय/महोदया,

राजस्थान राज्य विद्युत विनिमायक आयोग द्वारा वाद संख्या आर.ई.आर.सी.-343/12 पर दिनांक 10.07.2013 एवं दिनांक 02.12.2013 को दिये गये निर्णयानुसार तथा निगम द्वारा जारी आदेश संख्या दिनांक की अनुपालना में जांच प्रतिवेदन संख्या दिनांक के संदर्भानुसार आपके बिल द्वारा, बिल माहवर्ष से बिल माह वर्ष तक अधिक वसूल की गई कुल राशि(मूलधन..... डी.पी.एस.....), आपके आगामी माहों विद्युत विपत्रों में समायोजन द्वारा लौटायी जा रही है।

सूचनार्थ प्रेषित है।

सहायक अभियन्ता ()

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

